न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2021/313 दर्ज तिथि:–12.08.2021

1. गिरधारी पुत्र बद्री उम्र 66 साल जाति बलाई निवासी कालालांका तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

– प्रार्थी

बनाम

1. बुद्धराम पुत्र मांगू उम्र 50 साल जाति बलाई निवासी कालालांका तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. लीलाराम पुत्र नानगराम उम्र 60 साल जाति बलाई निवासी कालालांका तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:– श्री संदीप शर्मा।
अप्रार्थी:– अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:05:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथि:–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की [illegible] आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम कालालांका तहसील थानागाजी जिला अलवर

में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन दिनांक 30.06.2021 को कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ–पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की विधिवत तामील करायी गयी। अप्रार्थी संख्या 01 के न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि यदि उक्त आराजी पर पत्थरगढी कर दी जाये तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 बाद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1099 दिनांक 19.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का बामनवास चौगान ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 24.02.2023 तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:05:09 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

***111. Decision of disputes as to boundaries**. — (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall*

decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम कालालांका में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम कालालांका के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खा[illegible] आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 30.06.2021 [illegible] यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के [illegible] से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रि[illegible] में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 66 गै0 मु0 चाह व 86 गै0 मु0 चाह को मुश्तकिल बिन्दू मानकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:05:09 IST
Reason: SelfAttested.

गिरधारी बनाम बुद्धराम

2021/313

निर्णय दिनांक 09.05.2023

खसरा नम्बर 68 की मुताबिक नक्शा संवत् 2060 के अनुसार चारों मेड़ों पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 के अनुसार उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी का पूर्ण कब्जा है तथा अप्रार्थी से खसरे की सीमाओं को लेकर विवाद है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम कालालांका तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार, अगर दीगर व्यक्ति का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा हो तो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी दीगर व्यक्ति को कब्जे से बेदखल नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 09.05.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:05:09 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)